FINANCE DEPARTMENT

(WAYS AND MEANS AND LOANS)

The 4th November, 1977

No. 1926-WM(5)-76/35468.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, namely:—

1. (1) These rules may be called the Punjab Financial (Haryana Ninth Amendment) Rules, Volume I, 1977.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1966.

2. In the Punjab Financial Rules, Volume I, for rule 10.12A(ix), the following rule shall be substituted, namely :—

"10. 12A(ix). *Submission of utilization certificates* —In order to ensure the proper utilization of loans given by the State Government to third parties, the following procedure should be observed, namely:—

(a) the authorities sanctioning the loans will furnish to the Audit Office the utilization certificates in individual cases in respect of loans, the detailed accounts of which are required to be maintained by Audit Office, viz., loans to Local Bodies, Improvement Trusts, etc. etc. ;

(b) in case of Loans to local Bodies and to Co-operative Societies, the accounts of which are audited by the departmental auditors viz. the Examiner, Local Fund Accounts, and the Registrar, Co-operative Societies, the utilization certificates will be furnished by the sactioning authorities to the Audit Office for the total amount of loans disbursed to these bodies/ institutions for various purposes during each year on the basis of the audit report of the Examiner, Local Fund Accounts, or other Departmental Auditors certifying the proper utilization of the loans ;

(c) in case of loans, the detailed accounts of which are maintained by the departmental officers, the consolidated utilization certificates (except in the case of loans to individuals) may be furnished to the audit by the Heads of Departments or the Chief Controlling Officers administering the loan for the total amount of loans disbursed each year. The certificates should indicate the year-wise break-up of the loans for which utilization certificates are furnished ;

(d) in the case of loans sanctioned in favour of individuals, the detailed accounts of which are maintained in the Audit Office, the consolidated certificates need not be furnished to the Audit Office ;

(e) the utilization certificates should be supplied to the Audit Office within twelve months after the close of the financial year in respect of the loans granted during the previous financial year on the basis of the terms and conditions of the loans",

B. S. OJHA, Commr. & Secy.

INDUSTRIES DEPARTMENT

The 28th November, 1977

No. 7498-2IB(I)-77/35932.—In pursuance of the provisions contained in the Articles of Association of Punjab Export Corporation Ltd., and the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. F-17/82/88-SR, dated the 15th February, 1967, the Governor of Haryana is pleased to nominate Shri K. R. Punia, I. A. S., Director of Industries, Haryana, as a Director of the Punjab Export Corporation Ltd., vice Shri B. L. Mittal, I. A. S., since resigned.

V. K. SIBAL, Commr. & Secy.

LATE NOTIFICATIONS

REVENUE DEPARTMENT

The 30th November, 1977

No. 6089-AR(5)-77/30024.—In partial modification of the Schedule to the Haryana Government, Revenue Department notification No. 5733-AR(5)-77/26663, dated the 20th October, 1977, "Shri Shiv Narain of village Jitpura, tehsil Dadri" is nominated as a non-official in place of "Shri Lihaz Singh Beria" appearing at Serial No. 5 of Tehsil Dadri (District Bhiwani).

P. P. CAPRIHAN, Secy.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 नवम्बर, 1977

क्रमांक **1606-ज(I)-77/25971.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चिमनी देवी, विधवा श्री मान चन्द, गांव आसलवास मराहटा, तहसील व जिला भिवानी, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 24 नवम्बर, 1977

क्रमांक **1792-ज(I)-77/29617.**—श्री नत्थू, पुत्र श्री भीखा, गांव कलयाणा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को दिनांक 15 नवम्बर, 1974, की हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री नत्थू को मुल्लिग 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4200-ज(I)-72/44391, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मिसरी देवी के नाम खरीफ़, 1975 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक **1939-ज(II)-77/29621.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, गांव सिसला, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1973 से 200 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1841-ज(I)-77/29625.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (I) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	अम्बाला	श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री मैहन्गा सिंह	महलांवाली	जगाधरी	रबी, 1973 से	150

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु०
2	अम्बाला	श्री भाग सिंह, पुत्र श्री सद्दा सिंह	रजावली	अम्बाला	रबी, 1973 से	150
3	,,	श्री शेर सिंह, पुत्र श्री उत्तम सिंह	बरनाला	,,	रबी, 1974 से	150
4	,,	श्री गुरचरन सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह	हीमा माजरा	,,	रबी, 1967 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ़ 1970 से	150
5	,,	श्री हन्सा सिंह, पुत्र श्री लद्धा सिंह	अलीपुर	,,	रबी, 1973 से	200

क्रमांक **1918-ज(I)-77/29629.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मातु राम, पुत्र श्री मुख राम, गांव बालरोड़, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1837-ज(I)-77/29633.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(I) तथा 3(I) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सांवल राम, पुत्र श्री दिलसुख, गांव श्याम कल्यान, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1928-ज(II)-77/29637.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव फोर्टपुरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1948-ज(II)-77/29641.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री राम चन्द्र, पुत्र श्री शिव लाल, गांव बिरधाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1974 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

यशवन्त कुमार जैन,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।